संख्या–४६५ / नौ–7–2023–05(ज) / 2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

1.निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक :23मई, 2023

विषयः आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला–नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि की दशा में जल भराव व जल निकासी की समस्या के कारण जन सामान्य के आवगमन में बाधा के साथ–साथ संक्रामक रोगों के प्रसार की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–7 के अनुसार निकाय में जनसामान्य को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा नाले–नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराना नगरीय निकायों का अनिवार्य कर्तव्य है। यह आवश्यक हो जाता है कि नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। उक्त के दृष्टिगत समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों यथा शासनादेश संख्या–455 / नौ–7–2022–27(ज) / 2014टी0सी0, दिनांक 25.04.2022, संख्या–825 / नौ–7–2022–27(ज) / 2014टी0सी0,दिनांक 13.06.2022, संख्या–890 / नौ–7–2022–27 (ज) / 2014टी.सी.,दिनांक 22.06.2022 इत्यादि के माध्यम से शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला–नालियों की साफ–सफाई हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला–नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के विषयगत पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से दिये गये निर्देशों के साथ ही निम्नलिखित कार्यवाहियॉ विशेष रूप से किया जाना अपेक्षित है :–

1.पेयजल आपूर्तिः–

- नगरीय निकायों में पेयजलापूर्ति के लिये विशेष अभियान चलाकर समस्त नलकूप चालू हालत में रखे जायें तथा बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराकर चालू किया जाय।
- नलकूपों की मुख्य पाइपलाइनों से बस्तियों में आपूर्ति होने वाली पाइपलाइनों की टूट–फूट की मरम्मत एवं जल रिसाव के स्थानों को चिन्हित करते हुए उनकी मरम्मत करायी जाय ताकि बस्तियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके।
- समय–समय पर जल शुद्धिकरण हेतु क्लोरीनीकरण कराया जाय।

–2–

- पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये यूजर एण्ड प्वाइन्ट (उपभोक्ता द्वारा उपयोग प्वाइंट) पर जल के नमूने एकत्र कर उनका नियमित रूप से बैक्टीरियोलॉजिकल/वायरोलॉजिकल जॉच करायी जाय।
- जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है, उन इलाकों में यथावश्यक क्लोरीन के टेबलेट का उचित मात्रा में वितरण कराया जाय।
- जिन क्षेत्रों में पेयजल बाधित हो, वहॉ पर टेंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करायी जाय।
- नगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन तथा पानी की पाइप लाइन की चेकिंग की जाय। यदि कही सीवर अथवा पानी की पाइप लाइन में ब्रेकेज अथवा लीकेज पायी जाती है, तो उसे तत्काल सही किया जाय। उक्त लीकेज के सही होने तक संबंधित क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

2. नाले/नालियों की सफाई –

- **वर्षा ऋतु से पूर्व विलम्बतम् 10 जून, 2023** तक नालों एवं नालियों की सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
- नगरीय निकाय के सभी बड़े नाले, मझोले नाले एवं छोटे नाले को चिन्हित कर उनकी सफाई हेतु सूक्ष्म कार्य योजना (Micro Plan) बनायी जाय।
- Micro Plan में नालों की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का अंकन करते हुये मैकैनिकल सफाई की टाईम लाईन (अवधि) तथा मैनुअल सफाई में कुल सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या के साथ दिनांक वार कार्य समाप्त करने की तिथि निश्चित की जाय।
- वार्ड वार नालों की मैकैनिकल/मैनुअल सफाई हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायें। जिनके नाम/पदनाम/मोबाइल नं0 Micro Plan में अंकित किया जाय।
- नालों की सफाई की पूरी प्रकिया को पारदर्शी एवं गुणवत्ता परक ढंग से सम्पन्न कराने हेतु स्थानीय पार्षद/सभासदगण को भी इसमें सम्मिलित किया जाय एवं Micro Plan में उनका नाम अंकित किया जाय।
- निकाय के सभी बड़े नाले, मझोले नाले एवं छोटे नाले के सिल्ट की सफाई तली तक यथावश्यक मैकैनिकल/मैनुअल ढ़ंग से सफाई सुनिश्चित किया जाय।
- नाले से निकला हुआ सिल्ट समयबद्ध रूप से वहां से सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाय। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जाय।
- शासनादेश संख्या–1303/नौ–1–2022–17(रिट)/22, दिनांक 02.06.2022 के क्रम में समस्त निकाय वर्षा ऋतु से पूर्व नाले–नालियों की सफाई का कार्य यथा सम्भव मशीनों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें। नाले–नालियों की मैनुअल सफाई कराये जाने की स्थिति में समस्त सुरक्षा उपकरणों/उपस्करों के साथ ही सफाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- शासनादेश संख्या–890/नौ–7–2022–27(ज)/2014टी0सी0, दिनांक 22.06.2022 के क्रम में समस्त नगर निगमों में बड़े नालो की सफाई व्यवस्था का सर्वे ड्रोन कैमरों के माध्यम से कराते हुए उक्त की सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. जल निकासी की समुचित व्यवस्था–

- नगरीय निकायों में जल भराव वाले स्थलों को चिन्हित कर लिया जाय।
- उक्त चिन्हित स्थलों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार बड़े/छोटे पम्प लगाये जाने के लिये सूक्ष्म कार्ययोजना बना ली जाय। उक्त Micro Plan में पम्प चालक एवं प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर अंकित किया जाय। जल की निकासी हेतु छोटे बड़े पम्पों को यथावश्यक मरम्मत कराकर ठीक करा लिया जाय।
- जल निकासी की समस्या की आकस्मिकता की स्थिति में जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कन्ट्रोल रूम (24X7), डेडिकेटेड गैंग एवं अतिरिक्त बड़े/छोटे पम्प की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों की संचालन व्यवस्था हेतु पम्प जनेरेटर, ट्रान्सफारमर की सर्विसिंग, इनटेक व सम्प की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जाय।
- बैरल (Barrel), पम्पिंग स्टेशनों का नाम, control room (24X7) Dedicated Gang के कर्मचारियों/ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर Micro Plan में अंकित किया जाय।
- निकायों में यथावश्यक विभिन्न विभागों से यथा सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इत्यादि से समन्वय स्थापित करते हुये जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त अपेक्षा के क्रम में सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ उक्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, अमृत, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
28.05.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।